

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल राजगीर

पत्रांक..... ३९७..... / राजगीर, दिनांक ३१/५/२१..

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, राजगीर
सेवा में,

श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा
शिव पुरी रामचन्द्रपुर
बिहारशरीफ नालन्दा।

विषय :-

MNP 4515 योजनान्तर्गत Silao Kolhua Road to Beldari Banarsi From Canal to Bigha, Janaro Pakki Sadak to Kendua Bigha, Dhobari Pakki Sadak to Karjara Middle School se Karjara tak, Ben Parkhand ke Mari Gawon me Pachim PMGSY Path se Dakshin tak Sadak Nirman, Bishnu pur Pakki Sadak se Sush Nadi Pul tak पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग :-

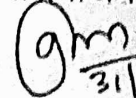
महाशय,

इस कार्यालय का पत्रांक- 218 दिनांक- 08.03.2021

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में कहना है कि विषयांकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा संख्या- 34/F2/2015-16, 57/F2/2015-16, 55/F2/2015-16, 58/F2/2015-16, 56/F2/2015-16 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षों तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में सरकारी सम्पत्ति का ह्रास हो रहा है जिसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेवार हैं।

आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा चौथे दिन दिनांक 04.08.2021 को पथ का अंतिम मापी कर लिया जायेगा, जिसमें कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थित नहीं रहने पर आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। तदोपरांत एकरारनामा के Clause of Contract के Clause No- 03 के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए अग्रधन एवं जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही निबंधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशांसा कर दिया जायेगा। अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की बसूली आपके जमानत एवं अन्य जप्त राशियों से किया जायेगा।

विश्वासभाजन


31/5/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, राजगीर